

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना जहानागंज

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 30.01.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 29.01.2024 को मेरी नाबालिग पुत्री घर से स्कूल गयी थी लेकिन घर वापस नहीं आयी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 38/2024 धारा 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. लालबहादुर द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

➡ दौरान विवेचना अभियुक्त स्वयं उर्फ सोयम पुत्र परदेशी निवासी पिथौरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.02.2024 को उ.नि. लालबहादुर मय हमराह मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त स्वयं उर्फ सोयम पुत्र परदेशी निवासी पिथौरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को चक्रपानपुर चौराहे से समय करीब 10.50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:- स्वयं उर्फ सोयम पुत्र परदेशी निवासी पिथौरपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.स. 38/2024 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:- उ.नि. लालबहादुर, का0 मुकेश शाह, म0का0 संजू कुशवाहा थाना जहानागंजम जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

चोरी गये 01 ट्राली गिट्टी व 01 ट्राली बालू (मय ट्राली) के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 06.02.2024 को वादी मुकदमा अवनिश पाण्डेय पुत्र ओम प्रकाश पाण्डेय निवासी कैथी संकरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 03.02.2024 की रात्रि में अज्ञात चोर जेसीबी व ट्रैक्टर के द्वारा गिट्टी व बालू भरकर चोरी कर लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 31/2024 धारा 379 IPC पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.02.2024 को उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 ट्राली गिट्टी व 01 ट्राली बालू (मौरंग) को समस्त अभियुक्तों द्वारा टोल प्लाजा जित्तूगंज के पास बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना पर विजय कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मौके से अभियुक्त मिथलेश यादव पुत्र स्व0 दयाशंकर यादव साकिन अलीपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को समय करीब 05.54 बजे 01 ट्राली बालू (मौरंग) व 01 ट्राली गिट्टी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि नल जल ठेकेदार के भण्डरण स्थान अमौडा मोहिउद्दीनपुर से मैंने व बेलाल ने मिलकर ट्राली लदी बालू (मौरंग) व 01 ट्राली गिट्टी चोरी किये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त- मिथलेश यादव पुत्र स्व0 दयाशंकर यादव साकिन अलीपुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0-31/2024 धारा- 379/411 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0-115/2020 धारा-120बी/506 भादवि थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण- 01 ट्राली गिट्टी व 01 ट्राली बालू (मय ट्राली)

गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला, का0 अनिल वर्मा, का0 विश्वामित्र कुमार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गोवध में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 20.10.2023 को व0उ0नि0 रमेश कुमार, उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा एक ट्रक में लदे गोवंश के साथ सेहदा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 02 नफर अभि0 1.अमजद उर्फ डेगा पुत्र नगीना निवासी मखनहा पकड़ियापुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ 2.सलाऊद्दीन पुत्र तौहीन निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 3. अभि0 सलाऊद्दीन पुत्र तौहीन को गिरफ्तार किया गया था। ट्रक में लदे 18 गोवंश व एक देशी तमन्चा देशी .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315/ बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0 294/2023 अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि व मु0अ0सं0 295/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा चुका है।

➡ दौरान विवेचना वाहन चालक छोटू पंडित उर्फ अंकित तिवारी पुत्र रामसिंगार तिवारी निवासी ककरापार थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरन नगर उम्र 23 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.02.2024 को उ0नि0 जावेद अख्तर व उ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त छोटू पंडित उर्फ अंकित तिवारी पुत्र रामसिंगार तिवारी निवासी ककरापार थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरन नगर को उसके ग्राम ककरापार नहर पुलिया समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- छोटू पंडित उर्फ अंकित तिवारी पुत्र रामसिंगार तिवारी निवासी ककरापार थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरन नगर उम्र 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 294/2023 अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 294/2023 अन्तर्गत धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 261/2021 धारा 323/504/506 भादवि थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरन नगर।
3. 304/2020 धारा 323/354/506 भादवि व 3(1) द, 3(1)ध SC/ST Act. थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरन नगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 जावेद अख्तर, उ0नि0 हौसिला प्रसाद थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।
2. पीआरडी हरिश्चन्द्र थाना कन्धरापुर।

थाना अतरौलिया

चोरी गई मोटरसाइकिल के साथ 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व का विवरण- दिनांक 06.02.2024 को वादी मुकदमा राधेश्याम पुत्र कन्हैया राम निवासी हमीदपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 29.01.2024 को अज्ञात चोरो ने उद्योग विद्यालय इण्टर कालेज कोयलसा थाना अतरौलिया आजमगढ़ से एक मोटर साइकिल सुपर स्पेलेंडर प्लस चोरी कर लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/2024 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 08.02.2024 को उ0नि0 अक्षय कुमार यादव मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की मोटर साइकिल के साथ 02 बाल अपचारियों को मोहनपुर पुलिया से समय करीब 10.30 बजे पुलिस संरक्षण में लेकर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 37/2024 धारा 379/411 भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- मोटर साइकिल (हीरो स्पेलेंडर प्लस)

संरक्षण मे लेने वाले पुलिस टीम- उ0नि0 अक्षय यादव, का0 स्वतन्त्र कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

थान सरायमीर

अवैध तमन्चा व कारतूस के अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 08.02.2024 को उ0नि0 अभिषेक सिंह मय हमराह खरेवा मोड पर मौजूद थे कि सूचना मिली की 01 व्यक्ति बस्ती नहर पुलिया पर अबैध तमंचा के साथ खड़ा है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह अभियुक्त मो0 आसिफ पुत्र इलियास अहमद ग्राम शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को अवैध तमंचा 315 बोरे व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोरे के साथ समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 58/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- मो0 आसिफ पुत्र इलियास अहमद ग्राम शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमंचा 315 बोरे, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोरे।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 58/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाले टीम- उ0नि0 अभिषेक सिंह, का0 बाबूलाल सोनकर, म0का0 मनीषा दुबे, सीसी बृजराज यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना तरवां

थाना तरवां क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- दिनांक 15.01.2024 को वादी मुकदमा मृत्युन्जय सिंह पुत्र हरिनाथ सिंह निवासी गदाईपुर जनपद गाजीपुर के परमानपुर बाजार स्थित पूर्वांचल मेडिकल स्टोर से ताला तोड़कर लैपटाप, एवं 100000 रूपये की किमती दवाये अज्ञात चोरो ने चोरी कर लिय जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/24 धारा 457/380 भा.द.वि. बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➔ दिनांक 16.01.2024 को वादी मुकदमा सचिन विश्वकर्मा पुत्र दयाशंकर विश्वकर्मा निवासी खरिहानी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के सहज जन सेवा केन्द्र खरिहानी बाजार का ताला तोड़कर लैपटाप ,सी.पी.यू. ,मानिटर और अन्य समान उठा ले जाना जिसके सम्बन्ध के थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 20/24 धारा 380/427/457/506 भादवि बनाम 03 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➔ दिनांक 02.02.2024 को गोविन्द कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र राम सा0 टण्डवा खास थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़ कर कम्प्यूटर, 10 हजार नगद, 01 लैपटाप , 01 कैमरा मोबाईल एक्ससीरीज व 08 मोबाईल की पैड एवं 01 स्क्रीन टच मोबाईल दुकान से अज्ञात चोरो ने चोरी कर लिये थे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 36/24 धारा 457, 380 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

➔ विनोद कुमार यादव पुत्र किशुन यादव सा0 भिलिहिली थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के दुकान सहज जन सेवा केन्द्र से अज्ञात चोरो ने शटर का ताला तोड़कर दुकान से 02 लैपटाप, 01 प्रिन्टर तथा 10 हजार रुपया नगद चुरी कर लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 44/24 धारा 457, 380 भादवि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.02.2024 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 दशाराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 बाल अपचारियों को दुर्गा मन्दिर खरिहानी से समय करीब 07.35 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर बाल अपचारियों के कब्जे से 02 L.C.D मानीटर, 02 प्रिन्टर, 02 कीपैड मोबाईल, 01 स्क्रीन टच मोबाईल, 3800 रु0 नगद, 01 02 लैपटाप, बरामद किया गया।

आपराधिक इतिहास- प्रथम बाल अपचारी

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	20/24	457,380,506,413 ,411 ,427 भादवी	तरवा	आजमगढ़
	18/24	457,380,506,413 ,411 ,427 भादवी	तरवा	आजमगढ़
	36/20	457,380,506,413 ,411 ,427 भादवी	तरवा	आजमगढ़
	44/24	457,380,506,413 ,411 ,427 भादवी	तरवा	आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- द्वितीय बाल अपचारी

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	20/24	457,380,506,413 ,411 ,427 भादवी	तरवा	आजमगढ़
	18/24	457,380,506,413 ,411 ,427 भादवी	तरवा	आजमगढ़
	36/20	457,380,506,413 ,411 ,427 भादवी	तरवा	आजमगढ़
	44/24	457,380,506,413 ,411 ,427 भादवी	तरवा	आजमगढ़

बरामदगी- 02 L.C.D मानीटर, 02 प्रिन्टर, 02 कीपैड मोबाईल, 01 स्क्रीन टच मोबाईल, 3800 रु0 नगद, 01 02 लैपटाप, गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह, उ0नि0 दशाराज सिंह, हे0का0 प्रमोद यादव, का0 विपिन यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

चोरी गये सामान के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 18.12.2024 को वादी मुकदमा मनोज कुमार निवासी ग्राम कोढवा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि वादी के लडके की साइकिल प्रभा लाइब्रेरी के गेट से चोरी हो गयी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 622/2023 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे द्वारा सम्पादित की जा रही है।

➡ दिनांक 13.01.2024 को वादी मुकदमा चन्द्रिका गौड़ पुत्र लालबिहारी गौड़ निवासी ग्राम भुसुड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि वादी के दुकान से 03 हार्स पावर का मोटर, 03 टुल्लू पम्प, 03 हजार रूपये, 30 पंखे का मोटर, 30 पंखे का स्टेटर, 1 स्टेबलाइजर, 01 सिलिंग फैन, 08 घड़ारी तामे का तार आदि अज्ञात चोरो ने चुरी कर लिया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 18/2024 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 07.02.2024 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा अतरडीहा गेट से 02 अभियुक्तों 1. प्रेमचन्द कुमार पुत्र स्व0 लालचन्द निवासी अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, 2. इन्द्रजीत राम पुत्र विजाधर राम निवासी ग्राम अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आमजगढ को समय करीब 14.45 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से चोरी के सामान 01 मोटर तीन हार्स पावर व चोरी की साइकिल की बिक्री के रूपये कुल 700/- रूपये की बरामद हुये।

आपराधिक इतिहास:- (दोनों अभियुक्त)

1. मु0अ0सं0 622/2023 धारा 379/411/34 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 18/2024 धारा 379/411/34 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1. प्रेमचन्द कुमार पुत्र स्व0 लालचन्द निवासी अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

2. इन्द्रजीत राम पुत्र विजाधर राम निवासी ग्राम अतरडीहा थाना मुबारकपुर जनपद आमजगढ।

बरामदगी- 01 मोटर व चोरी के साइकिल की बिक्री के 700 रूपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम - उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे, का0 अनिल कुमार, का0 अरूण कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 05.02.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 02.01.2024 को वादिनी की लडकी घर से स्कूल के निकली और स्कूल नहीं पहुची वादिनी में काफी तलाश करने किया परन्तु वादिनी की लडकी नहीं मिली। जिनके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 02/24 धारा 363 IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.02.2024 को उ0नि0 उमेश सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभियुक्त गोविन्दा कुमार पुत्र महन्त साकिन महुआ मुरारपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को गोपालपुर बाजार से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- गोविन्दा कुमार पुत्र महन्त साकिन महुआ मुरारपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 02/24 धारा 363/366 भादवि थाना मेंहनगर (2)238/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम - उ0नि0 उमेश सिंह, का0 उदयभान गुप्ता थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना- तरवां

धर्म परिवर्तन कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 14.01.24 को वादिनी मुकदमा सुनीता देवी पत्नी दिनेश चौहान निवासी भदिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर सूचना दिया कि वादिनी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जिसके आधार पर थाना

स्थानीय पर मु0अ0सं0 15/24 धारा 3(5)1 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 बनाम अवध नरायन पुत्र फूलचन्द्र चौहान सा0 भदिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुध पंजीकृत विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 08.02.24 को उ0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अवध नरायन पुत्र फूलचन्द्र चौहान सा0 भदिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम भदिया से समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 02 धार्मिक पुस्तक, 02 लाकेट बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 15/24 धारा 3(5)1 उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0 थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- अवध नरायन पुत्र फूलचन्द्र चौहान सा0 भदिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 60 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 02 धार्मिक पुस्तक व 02 लाकेट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 प्रमोद यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 08.02.2024 को उ0नि0 अरविन्द सिंह मय हमराह ने क्षेत्रभ्रमण के दौरान अभियुक्त नासिर हुसैन पुत्र तालिब ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को बारीखास गाँव से समय करीब 13.40 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 62/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग – मु0अ0सं0- 62/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- नासिर हुसैन पुत्र तालिब ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0- 84/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना निजामाबाद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 170/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी- 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कार0 .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम- उ0नि0 अरविन्द सिंह, हे0का0 जयहिन्द यादव, का0 उमेश यादव थाना निजामाबाद आजमगढ़।